A HARD RESET FOR BROADCAST AUDITS

TRAI's Seventh Amendment is not just another regulatory update, it is a clear statement that India's addressable TV ecosystem can no longer afford opacity, procedural drift, or compliance theatre.

A REGULATION BORN OUT OF FATIGUE

If there is one word that best describes the broadcast distribution sector's relationship with audits over the past decade, it is fatigue.

Broadcasters have long complained of delayed audits, incomplete data, and subscriber under-reporting. Distributors, particularly smaller MSOs, have pushed back against rising compliance costs, overlapping audits, and what they see as regulatory overreach. The result has been a system where audits exist, but trust does not.

TRAI's Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2026 should be read against this backdrop. This is not a cosmetic amendment. It is a corrective intervention aimed squarely at a system that had become simultaneously over-regulated and under-enforced.

By redefining who must be audited, when audits must happen, and how disputes are to be resolved, TRAI is effectively saying: the era of ambiguity is over.

ब्रॉडकास्ट ऑडिट के लिए ट्राई का हार्ड रीसेट

ट्राई का सातवां संशोधन सिर्फ एक और रेगुलेटरी अपडेट नहीं है, यह एक साफ बयान है कि भारत का एड्रेसेबल टीवी इकोसिस्टम अब अस्पष्टता, प्रक्रिया में देरी, अनुपालन के दिखावे को बर्दाश्त नहीं कर सकता।

थकान से बना रेगुलेशन

अगर कोई एक शब्द है जो पिछले कई दशक में प्रसारण वितरण क्षेत्र के ऑडिट के साथ रिश्ते को अच्छे से बताता है, तो वह है थकान।

प्रसारक लंबे समय से ऑडिट में देरी, अधूरे डेटा और सब्सक्राइबर्स की कम रिपोर्टिंग की शिकायत करते रहे हैं। वितरक, खासकर छोटे एमएसओ, बढ़ते अनुपालन खर्च, ओवरलैपिंग ऑडिट और जिसे वे रेगुलेटरी दखलंदाजी मानते हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां ऑडिट तो होते हैं, लेकिन भरोसा नहीं है।

ट्राई के टेलीकम्युनिकेशन्स (प्रसारण व केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम्स) (सातवां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 को इसी पृष्ठभूमि में पढ़ा जाना चाहिए। यह कोई दिखावटी संशोधन नहीं है। यह एक सुधारात्मक कदम है जिसका मकसद सीधे उस सिस्टम को ठीक करना है जो एक साथ बहुत ज्यादा रेगुलेटेड और कम लागू होने वाला बन गया था।

यह तय करके कि किसका ऑडिट होना चाहिए, ऑडिट कब होने चाहिए, और विवादों को कैसे सुलझाया जाना चाहिए, ट्राई असल में कह रहा हैः अस्पष्टता का दौर खत्म हो गया है।

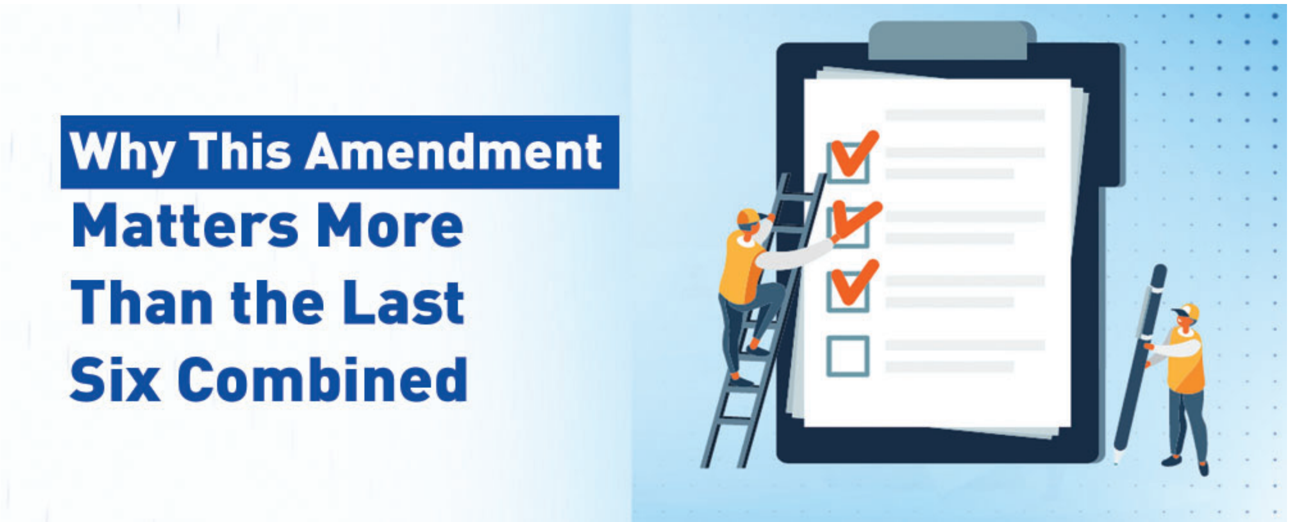

WHY THIS AMENDMENT MATTERS MORE THAN THE LAST SIX COMBINED

India's Interconnection Regulations have been amended repeatedly since 2017. Yet most previous changes tinkered at the edges, adjusting prices, reporting formats, or procedural language, without confronting the structural dysfunction of the audit regime itself.

This amendment does exactly that.

It acknowledges an uncomfortable truth: mandatory audits alone do not guarantee compliance, especially when enforcement is uneven and incentives are misaligned. Despite financial disincentives being on the books, a large number of distributors simply did not conduct audits on time, or at all. Meanwhile, broadcasters resorted to challenge audits, leading to duplication, conflict, and litigation.

The Seventh Amendment attempts to restore credibility to the audit process by strengthening the first audit, rather than endlessly litigating the second.

FINANCIAL YEAR ALIGNMENT: A LONG-OVERDUE COURSE CORRECTION

The shift from calendar-year audits to financial-year-based audits may appear technical, but it is arguably the most sensible change in the regulation.

For years, the industry lived with the absurdity of audits that did not align with:

- statutory financial audits,
- interconnection agreements,
- revenue recognition cycles, or
- tax and accounting periods.

By mandating that audits relate to the preceding financial year and be completed by 30 September, TRAI has

यह संशोधन पिछले समस्त छह संशोधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है

2017 से भारत के इंटरकनेक्शन रेगुलेशन में बार–बार संशोधन किये गये हैं। फिर भी, ज्यादातर बदलावों में सिर्फ ऊपरी तौर पर बदलाव किये गये, जैसे कीमतों, रिर्पोटिंग फॉर्मेट या प्रक्रिया की भाषा में बदलाव, लेकिन ऑडिट सिस्टम की संरचनात्मक गड़बड़ी का सामना नहीं किया गया।

यह संशोधन ठीक वैसा ही करता है

यह एक असहज सच्चाई को स्वीकार करता हैः अकेले अनिवार्य ऑडिट अनुपालन की गारंटी नहीं देते, खासकर जब प्रस्तुतिकरण असमान हो और इंसेंटिव गलत हों। बुक में वित्तीय निरूउत्साह होने के बावजूद बड़ी संख्या में वितरकों ने समय पर या बिल्कुल भी ऑडिट नहीं किया। इस बीच प्रसारकों ने ऑडिट को चुनौती देना शुरू कर दिया, जिससे दोहरीकरण, टकराव और मुकदमेबाजी हुई।

सातवां संशोधन दूसरे ऑडिट पर लगातार मुकदमा चलाने के बजाय, पहले ऑडिट को मजबूत करके ऑडिट प्रक्रिया में विश्वनीयता बहाल करने की कोशिश करता है।

वित्तीय वर्ष का तालमेलः एक लंबे समय से रूका हुआ सुधार

कैलेंडर वर्ष ऑडिट से वित्तीय वर्ष आधारित ऑडिट में बदलाव तकनीकी लग सकता है, लेकिन यह शायद रेगुलेशन में सबसे समझदारी वाला बदलाव है।

सालों तक, उद्योग ऐसे ऑडिट की बेतुकी बात के साथ जी रही थी जो इनसे मेल नहीं खाते थेः

- वैधानिक फाइनेंशियल ऑडिट,
- इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट,
- राजस्व पहचान चक्र, या
- टैक्स और अकाउंटिंग अवधि।

यह अनिवार्य करके कि ऑडिट पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित हो और 30 सितंबर तक पूरे हो जायें, ट्राई ने आखिरकार सब्सक्रिप्शन

finally brought subscription audits into the same universe as every other serious compliance process in Indian business.

This change alone removes a significant source of confusion and dispute, and quietly exposes how outdated parts of the earlier framework had become.

THE 30,000 SUBSCRIBER THRESHOLD: REGULATORY MATURITY AT LAST

Perhaps the most controversial, and most pragmatic, element of the amendment is the decision to make audits optional for distributors with fewer than 30,000 subscribers. For years, regulation treated a 3,000-subscriber local cable operator and a multi-million-subscriber MSO as regulatory equals. This was never equitable, and it was certainly never efficient.

By introducing a threshold, TRAI has done what regulators often hesitate to do: acknowledge scale.

This is not deregulation. It is proportional regulation. Small distributors are not being given a free pass, they remain auditable at the broadcaster's initiative, but they are no longer forced into an annual compliance exercise that often cost more than it delivered in value.

Crucially, TRAI has also closed the obvious loophole: where infrastructure is shared or joint ventures exist, subscriber bases are aggregated. Fragmentation will not be allowed to become an escape route.

AUDIT QUALITY OVER AUDIT QUANTITY

One of the clearest signals in the amendment is TRAI's intent to reduce the number of audits but increase their credibility.

Mandatory audits must now be conducted only by TRAI-empanelled auditors or BECIL, with explicit certification of auditor independence. Broadcasters are allowed to attend audits, but only as observers, not influencers. This strikes a careful balance between transparency and professional integrity.

More importantly, the amendment introduces a structured, time-bound mechanism for raising objections. Broadcasters can no longer sit on audit reports indefinitely or weaponise ambiguity months later during commercial negotiations. If discrepancies exist, they must be raised within defined timelines, supported by evidence.

ऑडिट को भारतीय बिजनेस में हर दूसरे गंभीर अनुपालन प्रक्रिया के बराबर ला दिया।

सिर्फ यह बदलाव ही गड़बड़ी और विवाद के एक बड़े स्रोत को खत्म कर देता है और चुपचाप यह दिखाता है कि पहले का फ्रेमवर्क कितना पुराना हो गया था।

30,000 सब्सक्राइबर की सीमाः आखिरकार नियामक परिपक्वता

शायद इस संशोधन का सबसे विवादास्पद, और सबसे व्यवहारिक तत्व 30,000 से कम सब्सक्राइबर वाले वितरकों के लिए ऑडिटको वैकल्पिक बनाने का फैसला है।

सालों तक, रेगुलेशन ने 30,000 सब्सक्राइबर वाले स्थानीय केबल ऑपरेटर और लाखों सब्सक्राइबर वाले एमएसओ को नियामक तौर पर बराबर माना। यह कभी भी सही और निश्चित रूप से कभी भी कुशल नहीं था।

एक सीमा लाकार ट्राई ने वह किया है जिसे रेगुलेटर अक्सर करने में हिचकिचाते हैंः स्केल को मानना।

यह डीरेगुलेशन नहीं है। यह आनुपातिक रेगुलेशन है। छोटे वितरकों को खुली छूट नहीं दी जा रही है, वे प्रसारक की पहल पर ऑडिट के दायरे में रहेंगे, लेकिन अब उन्हें सालाना अनुपालन एक्सरसाइज के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा, जिसमें अक्सर मिलने वाले फायदे से ज्यादा खर्च होते थे।

सबसे जरूरी बात यह है कि ट्राई ने साफ लूपहोल को भी बंद कर दिया हैः जहां संरचना की हिस्सेदारी की जाती है या संयुक्त उपक्रम होते हैं, वहां सब्सक्राइबर बेस को जोड़ा जायेगा। टुकड़ों में बांटने को बचने का रास्ता नहीं बनने दिया जायेगा।

ऑडिट की मात्रा से ज्यादा ऑडिट की क्वालिटी

संशोधनों में सबसे साफ संकेतों में से एक है ट्राई का ऑडिट की संख्या कम करने लेकिन उसकी विश्वनीयता बढ़ाने का इरादा।

अब अनिवार्य ऑडिट सिर्फ ट्राई पैनल में शामिल ऑडिटर या बीईसीआईएल करेंगे, जिसमें ऑर्डिटर की आजादी का साफ सर्टिफिकेशन होगा। प्रसारक ऑडिट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पर्यवेक्षक के रूप में, न कि इन्फ्लुएंसर के तौर पर। यह पारदर्शिता और पेशेवर ईमानदारी के बीच एक सही संतुलन बनाता है।

सबसे जरूरी बात है कि यह संशोधन आपत्तियां उठाने के लिए एक संरक्षित, समय-सीमा वाली मैकेनिज्म पेश करता है। प्रसारक अब ऑडिट रिपोर्ट पर अनिश्चित काल तक के लिए बैठे नहीं रह सकते या महीनों बाद वाणिज्यिक बातचीत के दौरान अस्पष्टता को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे तय समयसीमा के भीतर सबूतों के साथ उठाना होगा।

This is a subtle but important shift, from audits as leverage to audits as verification.

CURTAILING THE CULTURE OF ENDLESS CHALLENGE AUDITS

Challenge audits, while necessary in principle, had become a symptom of a deeper problem: lack of faith in the primary audit.

TRAI's new framework makes it clear that secondary audits are the exception, not the norm. Broadcasters must first exhaust the process of auditor clarification and updated reports. Only then does the matter escalate to the regulator, and even then, at the broadcaster's cost.

This approach does two things simultaneously:

1. It raises the accountability of empanelled auditors.
2. It discourages speculative or fishing-expedition audits.

In effect, TRAI is telling the industry that if audits are to command authority, they must also command finality.

WHEN DISTRIBUTORS DEFAULT, THE POWER SHIFTS

One of the more assertive aspects of the amendment is the explicit empowerment of broadcasters when distributors fail to meet audit obligations.

If an audit report is not shared by the deadline, broadcasters may initiate an audit themselves, once per year, within a fixed timeframe, and using empanelled auditors. This removes the long-standing excuse of delay as a defensive tactic.

At the same time, by placing the cost burden on broadcasters, TRAI ensures that this power is exercised judiciously, not casually.

This is regulatory balance in action: rights without

यह एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है, ऑडिट को दबाव बनाने के हथियार के बजाय वेरिफिकेशन के रूप में इस्तेमाल करना।

लगातार चुनौती ऑडिट की संस्कृति को कम करेगा

हालांकि ऑडिट को चुनौती सिद्धांत के रूप में जरूरी है, लेकिन ये एक गहरी समस्या का लक्षण बन गये थेः प्राइमरी ऑडिट पर भरोसे की कमी।

ट्राई के नये फ्रेमवर्क से यह साफ होता है कि सेकेंडरी ऑडिट अपवाद है, नियम नहीं। प्रसारकों को पहले ऑडिटरों से स्पष्टीकरण और अपडेटेड रिपोर्ट लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद ही मामल रेगुलेटर के पास जायेगा और वह भी प्रसारक के खर्चे पर।

यह तरीका एक साथ दो काम करता हैः

1. इससे पैनल में शामिल ऑडिटर्स की जवाबदेही बढ़ती है।
2. यह अटकलबाजी वाले या बिना मतलब के ऑडिट को हत्तोसाहित करता है।

असल में ट्राई उद्योग से कह रहा है कि अगर ऑडिट को अधिकार चाहिए तो उनमें अंतिम फैसला भी होना चाहिए।

जब वितरक चूक करते हैं तो पावर बदल जाती है

संशोधन के ज्यादातार जोरदार पहलुओं में से एक यह है कि जब वितरक ऑडिट की जिम्मेदारियां पूरी करने में विफल होता है तो प्रसारक को साफ तौर पर अधिकार मिल जाता है।

अगर अंतिम समयसीमा तक ऑडिट रिपोर्ट शेयर नहीं की जाती है तो प्रसारक खुद साल में एकबार तय समय–सीमा के अंदर और पैनल में शामिल ऑडिटर का इस्तेमाल करके ऑडिट शुरू कर सकते हैं। इससे देरी के बहाने को सुरक्षात्मक टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल करने का पुराना बहाना खत्म हो जाता है।

साथ ही प्रसारकों पर लागत का बोझ डालकर ट्राई यह पक्का करता है कि इस पावर का इतेमाल सोच समझकर किया जाए, न कि लापरवाही से।

यह रेगुलेटरी संतुलन का उदाहरण हैः बिना किसी अराजकता के

chaos, enforcement without excess.

INFRASTRUCTURE SHARING: REGULATION FINALLY CATCHES UP WITH REALITY

The Indian TV distribution ecosystem has quietly transformed through infrastructure sharing, shared headends, managed services, and pooled conditional access systems. Yet regulation lagged behind, creating uncertainty around audits and accountability.

The Seventh Amendment finally addresses this.

By mandating data segregation, separate system instances, and clear watermarking responsibilities, TRAI is recognising modern network architectures while ensuring that accountability does not dissolve into shared responsibility.

This is especially critical as cost pressures intensify and consolidation accelerates.

THE REAL MESSAGE: TRUST MUST BE EARNED, NOT ASSUMED

Beyond the clauses and provisos, the real significance of this amendment lies in its philosophy.

TRAI is no longer attempting to regulate mistrust through volume, more audits, more penalties, more paperwork. Instead, it is attempting to engineer trust through structure: clear timelines, defined thresholds, credible audits, and limited escalation.

Whether this works will depend on execution, particularly the quality of empanelled auditors and the regulator's willingness to enforce deadlines consistently. But directionally, the shift is unmistakable.

CONCLUSION: A NECESSARY, NOT PERFECT, INTERVENTION

The Seventh Amendment will not eliminate disputes overnight. Nor will it magically resolve the commercial tensions inherent in a shrinking linear TV market.

But it does something arguably more important: it restores regulatory intent.

By aligning audits with financial reality, recognising scale, tightening processes, and curbing misuse, TRAI has signalled that regulation must evolve with the industry it governs.

In a sector struggling for relevance amid OTT disruption and revenue pressure, this may be the first regulatory change in years that feels less like a burden, and more like a reset.■

BECIL
बेसिल
Broadcast Engineering
Consultant India Limited

अधिकार, बिना किसी ज्यादती के लागू करना।

इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंगः रेगुलेशन आखिरकार हकीकत के साथ तालमेल बिठा रहा है

इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, हेडएंड की साझेदारी, प्रबंधित सेवायें और पूल्ड कंडीशनल एक्सेस सिस्टम की सहायता से भारतीय टीवी वितरण इकोसिस्टम चुपचाप बदल गया है। फिर भी रेगुलेशन पीछे रह गया है जिससे ऑडिट और जवाबदेही को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गयी है।

सातावां संशोधन अंततः इस समस्या का समाधान करता है।

डेटा सेपरेशन, अलग सिस्टम इंस्टेंस और साफ वॉटरमार्किंग जिम्मेदारियों को अनिवार्य करके ट्राई आधुनिक नेटवर्क संरचना को पहचान रहा है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि जवाबदेही साझा जिम्मेदारी में खत्म न हो जाये।

यह खासकर तब जरूरी है जब लागत का दबाव बढ़ रहा है और कंसोलिडेशन तेज हो रहा है।

असली संदेशः भरोसा कमाना पड़ता है, माना नहीं जाता है

नियमों और शर्तों से परे, इस संशोधन का असली महत्व इसकी फिलॉसफी में है।

ट्राई अब वॉल्यूम, ज्यादा ऑडिट, ज्यादा पेनल्टी, ज्यादा कागजी कार्रवाई के जरिय अविश्वास को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बजाय, यह स्ट्रक्चर के जरिय विश्वास बनाने की कोशिश कर रहा हैः स्पष्ट टाइमलाइन, तय सीमायें, भरोसेमंद ऑडिट और सीमित एस्केलेशन।

यह काम करेगा या नहीं, यह इस बत पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे लागू किया जाता है, खासकर पैनल में शामिल ऑडिटर्स की क्वालिटी और रेगुलेटर्स की अंतिम समयसीमा को लगातार लागू करने की इच्छा पर। लेकिन दिशा के हिसाब से ये बदलाव साफ है।

निष्कर्षः एक जरूरी, लेकिन सर्वोत्तम दखल नहीं

सातवां संशोधन रातों रात विवाद को खत्म नहीं करेगा। न ही यह सिकुड़ते लीनियर टीवी बाजार में मौजूद वाणिज्यिक तनाव को जादुई तरीके से सुलझायेगा।

लेकिन यह शायद इससे भी ज्यादा जरूरी काम करता हैः यह रेगुलेटरी मकसद को बहाल करता है।

ऑडिट को वाणिज्यिक सच्चाई के साथ मिलाकर, स्केल को पहचानकर, प्रक्रिया को सख्त करके और गलत इस्तेमाल को रोककर, ट्राई ने यह संकेत दिया है कि रेगुलेशन को उस उद्योग के साथ बदलना होगा, जिसको वह नियंत्रित करता है।

एक ऐसे क्षेत्र में जो ओटीटी की वजह से हो रही उथल-पुथल और राजस्व के दवाव के बीच अपनी प्रासंगिकता बनाये रखने के लिए संघर्ष कर रहा है, यह सालों में पहला नियामक बदलाव हो सकता है जो बोझ कम और एक रीसेट जैसा ज्यादा लगता है।■